

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

कार्यालय आदेश

विभाग के पदाधिकारियों के बीच कार्यों का वितरण निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	आवंटित कार्य	प्रथम स्तर के पदाधिकारी	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी	अंतिम स्तर के पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय (सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों) का राजपत्रित स्थापना, (विभागीय कार्यवाही एवं निगरानी सहित), महिला सशक्तिकरण, कार्यशाला, प्रशिक्षण, माननीय विभागीय मंत्री का स्थापना, विभागीय वाहन/दूरभाष रख-रखाव, क्रय संबंधी कार्य	श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक निदेशक (प्र.)	अपर सचिव	प्रधान सचिव
2	सभी राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों (क्षेत्रीय) का राजपत्रित स्थापना, (विभागीय कार्यवाही एवं निगरानी सहित), अन्तर्विभागीय समन्वय एवं बैठक	मिर्जा आरिफ रजा, विशेष कार्य पदाधिकारी	अपर सचिव	प्रधान सचिव
3	न्यायालय/विधि संबंधी सभी कार्य	मिर्जा आरिफ रजा, विशेष कार्य पदाधिकारी—सह —नोडल पदाधिकारी (सेवान्त लाभ)	न्यायालय/विधि संबंधी कार्यों यथा—C.W.J.C/M.J.C/L.P.A/I.A/Review Petition/Execution Case इत्यादि के संबंध में प्रभारी/वरीय पदाधिकारी से समन्वय एवं अनुश्रवण कार्य।		
4	B.C.S.T, I.G.S.C, BIRSAC, EDU SAT	श्री जय प्रकाश सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी	निदेशक	प्रधान सचिव
5	कौशल विकास पोलिटेक्निक एवं अभियंत्रण महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता संधारण तथा अनुश्रवण (TEQUIP)	श्री रमाशंकर सिंह, उप निदेशक, (त०)	निदेशक	प्रधान सचिव
6	प्रमाण-पत्रों का सत्यापन	श्री रमाशंकर सिंह, उप निदेशक, (त०)

7	मुख्यालय / क्षेत्रीय अराजपत्रित वर्ग 3 की स्थापना (आरोप विभागीय कार्यवाही सहित) विधायी कार्य, जन शिकायत	डा० विकास चन्द्र कुमार, उप निदेशक, (क०)	निदेशक
8	बजट, योजना, अभियंत्रण / पोलिटेक्निक संस्थानों को जमीन उपलब्ध कराने एवं इन्फास्ट्रक्चर संबंधित मामले, टेक्नोलॉजी भवन का रख-रखाव	डॉ कुमार सुरेन्द्र उप निदेशक (यो०)	निदेशक	प्रधान सचिव
9	एस.बी.टी.ई./ बी.सी.एस.टी./ संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के साथ समन्वय, निजी एवं अन्य (आई०आई०टी० एवं एन०आई०टी० सहित) अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटेक्निक से संबंधित कार्य एवं समन्वय, छात्र समस्या, मानवाधिकार संबंधी कार्य।	श्री० डी. एन. सिंह, संयुक्त सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद	निदेशक	प्रधान सचिव
10	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वर्ग 4 के क्षेत्रीय कर्मियों की स्थापना एवं मुख्यालय अराजपत्रित स्थापना। (आरोप, विभागीय कार्यवाही सहित)	श्री ललित मोहन श्रीवास्तव, अपर सचिव	निदेशक
11	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग, अंकेक्षण, AC/DC बिल का समायोजन।	श्री चन्द्रेश्वर कुमार सिंह, सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	प्रधान सचिव	श्री चन्द्रभूषण सिंह, निबंधक-सह-लेखा पदाधिकारी, AC/DC बिल के समायोजन में सहयोग प्रदान करेंगे।

1. उपर लिखित सभी पदाधिकारी अपने आवंटित कार्य के अतिरिक्त प्रधान सचिव द्वारा सौंपे गये किसी अन्य कार्य का भी निष्पादन करेंगे।
2. श्रीमति सीमा सिन्हा, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, लोक सूचना का कार्य देखेंगी। मिर्जा आरिफ रजा, विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार होंगे।
3. श्री चन्द्रभूषण सिंह, निबंधक-सह-लेखा पदाधिकारी, न्यायालय / विधि संबंधी कार्यों में मिर्जा आरिफ रजा, नोडल पदाधिकारी को सहयोग करेंगे।
4. विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों के मुख्यालय / कार्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने के स्थिति में निम्नांकित विवरणी में उनके नाम के सामने अंकित पदाधिकारी उनके स्थान पर कार्य करेंगे:-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	प्रतिस्थानी पदाधिकारी
1.	श्री ओ०पी० राय, अपर सचिव	श्री अतुल सिन्हा, निदेशक
2.	श्री अतुल सिन्हा, निदेशक	श्री ओ०पी० राय, अपर सचिव
3.	मिर्जा आरिफ रजा, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक निदेशक(प्र.)
4.	श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक निदेशक(प्र.)	मिर्जा आरिफ रजा, विशेष कार्य पदाधिकारी

5.	श्री० डी. एन. सिंह, संयुक्त सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद	डा० विकास चन्द्र कुमार, उप निदेशक, (क०)
6	डा० विकास चन्द्र कुमार, उप निदेशक, (क०)	श्री० डी. एन. सिंह, संयुक्त सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद
7	श्री जय प्रकाश सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी	मिर्जा आरिफ रजा, विशेष कार्य पदाधिकारी
8	डॉ कुमार सुरेन्द्र उप निदेशक (यो०)	श्री रामाशंकर सिंह, उप निदेशक (त०)
9	श्री ललित मोहन श्रीवास्तव, अवर सचिव	श्री चन्द्रभूषण सिंह, निबंधक—सह—लेखा पदाधिकारी
10	श्री चन्द्रभूषण सिंह, निबंधक—सह—लेखा पदाधिकारी	श्री ललित मोहन श्रीवास्तव, अवर सचिव
11	श्री रामाशंकर सिंह, उप निदेशक (त०)	डा० विकास चन्द्र कुमार, उप निदेशक, (क०)

5. उपरोक्त सभी कार्यों में नीतिगत निर्णय हेतु प्रधान सचिव का आदेश प्राप्त किया जायेगा।
6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। पूर्व के आदेशों को इस हद तक संबंधित समझा जाए।
7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक वि० प्रा०(I) विविध—25/2013/

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक वि० प्रा०(I) विविध—25/2013/

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक/लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक वि० प्रा०(I) विविध—25/2013/

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक के आशुटंकक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक वि० प्रा०(I) विविध—25/2013/

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक वि० प्रा०(I) विविध-25/2013/

प्रतिलिपि -आईटी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को

२३८९ पटना, दिनांक २८/९/२०१५
इ-मेल हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

लृष्ण - 
२८/९/१५


अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग